न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, पाली (जिला–पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या ...50/2021 जी सी एम एस पोर्टल नंबर 132/2021

अनवान सरकार जरिये तहसीलदार पाली

कूपाराम वगैरह

बनाम

निर्णय दिनांक– 01-07-21

आदेश

(अंतर्गत धारा 136,131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956)

प्रार्थी **तहसीलदार, पाली** के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल– **बोमादड़ा** व भू.अ. निरीक्षक– **बोमादड़ा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार पाली की अनुशषा के आधार पर तहसील क्षेत्र पाली मे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर एवं राजस्व विभाग, राजस्थान निर्देशानुसार भू–अभिलेखों की डिजिटाईजेशन हेतु सचालित DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीरण कार्यक्रम) के अंतर्गत जमाबंदी, नक्शा स्थिति की अनुरूपता के लिए मौका एवं नक्शा की स्थिति में भिन्नता के फलस्वरूप तरमीम कार्य में अवरोध के निराकरण हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एवं 131 के अनुसरण में मौजा ग्राम **उतवण** तहसील– पाली, जिला–पाली की जमाबन्दी सवत् **2074–2077** मे खाता संख्या मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है खातेदारान् के नाम, हक हिस्सा एवं रहन की प्रविष्टियां, कुल रकबा एवं भूमि की किस्म अप्रभावित रहते हुए बदस्तुर जारी रहेगी। कोई भी खातेदार किसी भी समय आवश्यक समझे तो सबंधित सक्षम न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

DILRMP (डिजिटल इण्डिया भू–अभिलेख आधुनिकीरण कार्यक्रम) के तहत खसरा एकीकरण

मौजा ग्राम– उतवण पटवार मण्डल– बोमादड़ा भू.अ.नि.– बोमादड़ा, तहसील–पाली जिला–पाली

वर्तमान खाते का विवरण					शुद्धि की प्रविष्टि				
खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण	खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	खातेदार का विवरण
68	58	10.07	गै.मु.आ. आवासीय कालोनी	कूपाराम पेमाराम पि. सवा कुम्हार सा. आकेली खातेदार		58	17-05	गै.मु. आवासीय प्रयोजनार्थ कालोनी 10.07	कूपाराम पेमाराम पि. सवा कुम्हार सा. आकेली खातेदार । (माफिक योजना मानचित्र अनुसार)
01	58/2	6.18	गै.मु.आ.	सिवायचक, निवास या वास चरागाह के लिये नदी				गै.मुमकिन सार्वजनिक प्रयोनार्थ 06.18	
योग	**02**	**17.05**				**01**	**17.05**		

नोट– उपरोक्तानुसार खसरा नम्बरों का खसरा नम्बर 58 में एकीकरण करने के आदेश दिये जाते है।

1. नियमानुसार लगान दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।
2. ख.नं. 58 की 40% भूमि अर्थात 6.18 बीघा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजस्थान सरकार दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

(देशल दान)
आई.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
पाली